सं.ए.12018/13/2015-एमएच-II/एनसीडी-I

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एनसीडी-I

अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में 'रसोईया' पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम संबंधी जनसूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में **रसोईया'** पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव अवर सचिव (डी.एस.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 430 'सी' विंग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110108 को लिखित रूप में या ई-मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते हैं।

(धर्मेन्द्र सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं: 23062666

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2020

अधिसूचना

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, रसोईया भर्ती नियम 1991 को, जहां तक उनका संबंध **रसोईया** के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, में रसोईया के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ : -**

(i) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, में रसोईया (समूह-ग **पद**) भर्ती नियम 2020 कहा जायेगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल –** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –** वह व्यक्ति –

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार को लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रसोईया	01* (एक) (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-I – (18000 – 56900/- रुपये)	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों व अनुदेशों के अनुसरण में सामान्य श्रेणी के सरकारी सेवकों के मामले में 40 वर्ष तक शिथिलनीय और अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग के सरकारी सेवकों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी 1: आयु सीमा निर्धारित करने की तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगीं न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	अनिवार्य: (i)10वीं उत्तीर्ण (ii) अभ्यर्थी की उपयुक्तता के आकलन के लिए रसोई बनाने का कौशल परीक्षण लिया जाएगा। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में शैक्षिक योग्यता कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है, बशर्ते की कारणों को लिखित में अभिलेखित किया जाए। टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में शैक्षिक योग्यता कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है, बशर्ते की कारणों को लिखित में अभिलेखित किया जाए तथा यदि किसी चरण में वे भी कर्मचारी चयन आयोग का यह मानना है कि इस वर्ग के अपेक्षित अनुभव रखने वाले

				जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले पंगी सब डिवीजन और लाहौल और स्पिति जिले, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त की अंतिम तारीख। टिप्पणी 2: रोजगार कार्यालय से अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा निर्धारित करने की तारीख वह तारीख होगीं जिस तारीख को रोजगार कार्यालय से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है।	पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर शैक्षिक योग्यता में ढील दी जा सकती है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा	**यदि विभागीय प्रोन्नति/नियमितीकरण समिति है, तो**	**भर्ती करने की किन परिस्थितियों**

में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	उसकी संरचना।	में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	विभागीय नियमितकरण समिति 1. संयुक्त अपर निदेशक –अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (पुनर्वास), -सदस्य 3. परामर्शक (संज्ञाहरण) – सदस्य 4. सीएमओ (एनएफएचडी)-सदस्य 5. संबंद्ध विभागाध्यक्ष –सदस्य	लागू नहीं

ए.11018/13/2017 एमएच.II